



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232464
CG-DL-E-06012022-232464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2022/पौष 16, 1943

No. 67]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2022/PAUSHA 16, 1943

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2021

का.आ. 68(अ).—केन्द्रीय सरकार, अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 (2021 का 33) की धारा 5 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 14ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सुबोध कुमार गुप्ता को, ऐसी तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए या षड्षष्ठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वोक्त हो, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 15-02/2019-रजि.(वाल्सू2)(भाग)]

एस. बालाचन्द्र अय्यर, उपमहानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th December, 2021

S.O. 68(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14B of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with section 5 of the Tribunals Reforms Act, 2021 (33 of 2021), the Central Government hereby appoints Shri Subodh Kumar Gupta, as a Member of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, for a period of four years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-seven years, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 15-02/2019-Restg.(Vol.II)(Pt.)]

S. BALACHANDRA IYER, Dy. Director General